I/45107/2023

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर.

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 10.03.2023 को पूर्वाहन 11.00 बजे श्री ए बिपिन मेनन विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई 100 %निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) से सम्बंधित इकाई अनुमोदन समिति की तीसरी बैठक) 2023 (का कार्यवृत

निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) योजना हेतु इकाई अनुमोदन समिति की तीसरी बैठक (2023) को श्री ए. बिपिन मेनन विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन हुई।

बैठक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई बैठक में इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे-:

1) श्री सुरेंदर कुमार मालिक, सयुक्त विकास आयुक्त
2) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त
3) श्री चंचल कुमार तिवारी, सयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क, लखनऊ
4) श्री शलभ गोयल, उप आयुक्त सीमाशुल्क JRF, कानपूर
5) श्री भारत भूसण अटल, उप आयुक्त सीमाशुल्क जयपुर।
6) श्री चमन लाल, सहायक एफटीडीओ (FTDO) कार्यालय अतिरिक्त डीजीएफटी (DGFT), सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी नई दिल्ली।
7) डॉ डी .आर बाबू रेड्डी डिप्टी डाइरेक्टर) रिसर्च (कॉफी बोर्ड भी विशिस्ट अतिथि के रूप में समिति की बैठक में उपपस्थित थे।

इसके अलावा अनुमोदन समिति (UAC) की सहायता के लिए श्री एच् के मीणा सहायक विकास आयुक्त एवं श्री सुनील गुलयानी स्टेनोग्राफर भी उपपस्थित थे।

2. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन समिति (UAC) के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात कार्यसूची पर विचार विमर्श शुरू हुआ।

3.01 (2023) दिनांक 03.02.2023 को हुई इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के मिनट्स का रेटिफिकेशन

चूँकि दिनांक 03.02.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के सम्बन्ध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई सन्दर्भ प्राप्त नहीं हुआ था अतः दिनांक 03.02.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्तों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया

3.02 (2023) श्री अहिंसा माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, बगरू, जयपुर, राजस्थान के 100% निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) के वि. व्या. नी (FTP) के पैरा 6.08 (ए) के संदर्भ में डीटीए (DTA) में कैफीन निर्जल प्राकृतिक को साफ करने का प्रस्ताव।

समिति को सूचित किया गया कि:

1. डीजीएफटी (DGFT) कार्यालय, दिनांक 30.08.2007 के पत्र द्वारा, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के परामर्श से डीआरआई (DRI) को स्पष्ट किया था कि कैफीन निर्जल का निर्माण, चाहे आयातित

कच्चा तेल मोनोहाइड्रेट हो या निर्जल, मोनोहाइड्रेट के वि. व्या. नी (FTP) के पैरा 6.8 में नकारात्मक सूची के तहत छानने, सेंट्रीफ्यूगेशन, सुखाने और पीसने जैसी मामूली प्रक्रिया के माध्यम से रासायनिक रूप से निर्जल रूप में रूपांतरण जैसी मामूली प्रक्रिया की श्रेणी में आएगा। इसलिए शुल्क की रियायती दर पर कैफीन एनहाइड्रस नेचुरल की डीटीए (DTA) बिक्री की अनुमति नहीं है। तब से, इकाई ने वि. व्या. नी (FTP) के पैरा 6.08 (एच) के अनुसार शुल्क की पूरी दरों पर डीटीए में कैफीन निर्जल प्राकृतिक को मंजूरी दे दी थी।

2. 05.12.2017 से संशोधित वि. व्या. नी (FTP) के अनुसार (जो जीएसटी (GST) की शुरूआत के बाद आया था), शुल्क की रियायती दरों पर डीटीए (DTA) में तैयार माल की निकासी की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है साथ ही वि. व्या. नी (FTP) के पैरा 6.08 (एच) को हटा दिया गया है। हालांकि, वि. व्या. नी (FTP) के पैरा 6.08 (ए) (ii) के अनुसार, "इस तरह की डीटीए बिक्री पैकेजिंग/लेबलिंग/अलगाव/प्रशीतन/
कॉम्पैक्टिंग/माइक्रोनाइजेशन/पलवराइजेशन/ग्रेनुलेशन/मोनोहाइड्रेट फॉर्म के रासायनिक से निर्जल रूप में या इसके विपरीत रूपांतरण की गतिविधियों में लगी इकाइयों के लिए भी स्वीकार्य नहीं होगी।

3. इकाई ने दिनांक 23.03.2019 के पत्र के माध्यम से अप्रैल-सितंबर 2018 की अवधि के लिए कैफीन निर्जल प्राकृतिक और ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट्स की डीटीए (DTA) बिक्री के लिए आवेदन किया और निर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट प्रस्तुत किया जिसमें दिखाया गया कि कैफीन निर्जल प्राकृतिक की निर्माण प्रक्रिया में **प्रमुख प्रसंस्करण** शामिल है।

4. कैफीन निर्जल प्राकृतिक पदार्थ की डीटीए (DTA) बिक्री पर उस समय डीजीएफटी (DGFT) के साथ चर्चा की गई थी और नोट किया गया था कि यह वि. व्या. नी (FTP) 2015-2020 (05.12.2017 तक) के पैरा 6.08 (ii) के अन्तर्गत है और इसलिए इसकी अनुमति नहीं है।

5. तदनुसार, केवल हरा कॉफी बीन सत्त के लिए डीटीए (DTA) बिक्री पर विचार किया गया था और 'कैफीन निर्जल प्राकृतिक' की अनधिकृत निकासी के लिए, कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.09.2019 को डीटीए (DTA) में कैफीन निर्जल प्राकृतिक और ग्रीन कॉफी बीन सत्त की निकासी के लिए 05.12.2017 से डीटीए में 11.01.2019 तक जारी किया गया था; और ऑर्डर-इन-ओरिजिनल दिनांक 01.11.2019 के तहत इकाई पर 1,17,581.00 रुपये का जुर्माना लगाया गया था जिसे इकाई द्वारा जमा कर दिया गया है।

6. इकाई ने दिनांक 10.11.2021 के पत्र के माध्यम से एक बार फिर 'कैफीन निर्जल प्राकृतिक' के लिए डीटीए (DTA) बिक्री अनुमति का अनुरोध किया जिसमें इकाई ने निम्नानुसार कहा है:-

a. क्रूड कैफीन से निर्मित कैफीन निर्जल प्राकृतिक के लिए डीटीए (DTA) बिक्री अनुमति के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए उनका अनुरोध पिछले दो वर्षों से डीजीएफटी (DGFT) के साथ समीक्षा के लिए लंबित है। पहले लगाया गया प्रतिबंध रसायन विभाग द्वारा दी गई गलत व्याख्या के कारण लगाया गया था और अब रसायन विभाग ने इस विषय पर टिप्पणी करने से इस आधार पर रोक लगा दी है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए, इकाई ने इस संबंध में डीजीएफटी (DGFT) को दिनांक 10.11.2021 को एक पत्र भी लिखा है।

b. पहले उनका प्लांट कच्चा माल क्रूड कैफीन पर आधारित था जो उनके द्वारा आयात किया जाता था। क्रूड कैफीन में अन्य अशुद्धियों के साथ 40% से 80% कैफीन होता है। उन्होंने 99% से अधिक शुद्धता के 'कैफीन निर्जल प्राकृतिक' का निर्माण किया और इसे भोजन और फार्मा उपयोग के लिए उपयुक्त बनाया। कच्चा माल और तैयार उत्पाद बिल्कुल अलग थे।

c. अब उन्होंने कॉफी वैक्स और चाय वेस्ट को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर 'कैफीन एनहाइड्रस नेचुरल' बनाना भी शुरू कर दिया है। विनिर्माण प्रक्रिया और प्रक्रिया प्रवाह चार्ट प्रदान किया गया।

d. इकाई ने कहा है कि चूंकि विभिन्न कच्चे माल हैं और विनिर्माण प्रक्रियाएं वि. व्या. नी (FTP) के पैरा 6.08 (ए) (ii) के तहत शामिल नहीं हैं, इसलिए इकाई ने कॉफी वैक्स और टी वेस्ट हद तक पात्र हैं, और उनकी इकाई को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं निर्मित कैफीन निर्जल प्राकृतिक की डीटीए (DTA) बिक्री के लिए अनुमोदन देने का अनुरोध किया है। इससे पहले, डीजीएफटी (DGFT) की 08.07.2019 की रिपोर्ट के आधार पर 'कैफीन निर्जल प्राकृतिक' की डीटीए बिक्री से इनकार किया गया था।

7. इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.01.2022 के बाद दिनांक 11.04.2022 के पत्र द्वारा, यूनिट का अनुरोध खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एमओएफपीआई (MOFPI) को भेजा गया था - मामले की जांच करने और इस कार्यालय को सूचित करने के लिए कि क्या (i) कच्चा माल यानी क्रूड कैफीन के तहत या अन्यथा कैफीन मोनोहाइड्रेट गिरता है। (ii) इसके अलावा, क्या कॉफी वैक्स और चाय के वेस्ट से कैफीन निर्जल प्राकृतिक का निर्माण एफटीपी (FTP) 2015-2020 के पैरा 6.08 (ए) (ii) के अंतर्गत आता है या नहीं।

8. उप निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एमओएफपीआई (MOFPI) पंचशील भवन, नई दिल्ली-49 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.04.2022 के माध्यम से सूचित किया गया है कि "के पैरा 6.08 (ए) (ii) 100% ईओयू द्वारा डीटीए (DTA) बिक्री के लिए वि. व्या. नी (FTP) 2015-2020 के अनुसार निर्जल कैफीन की अनुमति नहीं हो सकती है। कच्चा माल क्रूड कैफीन कैफीन मोनोहाइड्रेट के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन कैफीन मोनोहाइड्रेट को क्रूड कैफीन को कैफीन में संसाधित करने और पानी की मात्रा को हटाने से निकाला जा सकता है।

9. दिनांक 16.06.2022 के इस कार्यालय पत्र के माध्यम से एक बार फिर एमओएफपीआई (MOFPI) से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि कॉफी वैक्स और चाय के वेस्ट से कैफीन निर्जल प्राकृतिक का निर्माण वि. व्या. नी (FTP) 2015-2020 के पैरा 6.08 (a) (ii) के अंतर्गत आता है या नहीं। हालांकि, उनकी ओर से आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था।

10. कॉफी बोर्ड के उप निदेशक भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि कॉफी वैक्स और टी वेस्ट से कैफीन एनहाइड्रस नेचुरल का निर्माण उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यहां तक कि कॉफी वैक्स भी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

11. इकाई के प्रबंध निदेशक श्री नेमीचंद जैन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और ऊपर बताए अनुसार अपना तर्क रखा। समिति ने उन्हें सलाह दी कि वे कॉफी वैक्स और चाय के कचरे से कैफीन निर्जल प्राकृतिक की निर्माण प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें ताकि इस मुद्दे को एमओएफपीआई (MOFPI) में उपयुक्त प्राधिकारी के साथ नए सिरे से उठाया जा सके। श्री जैन को विशेष रूप से तर्क देने के लिए कहा गया था कि वि. व्या. नी (FTP) के पैरा 6.08 (ए) (ii) में उल्लेखित निर्माण की प्रक्रिया "रासायनिक के मोनोहाइड्रेट रूप को निर्जल रूप में या इसके विपरीत में रूपांतरण" से अलग क्यों है।

12. समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया कि इकाई अपनी निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट तर्कों के साथ प्रस्तुत करेगी कि यह "रासायनिक के मोनोहाइड्रेट रूप से निर्जल रूप में या इसके विपरीत परिवर्तन" से अलग क्यों है। इसके बाद स्पष्टीकरण के लिए डीजीएफटी (DGFT) को सूचना के तहत एमओएफपीआई (MOFPI) को भेजा जाएगा।

3.03. (2023) मैसर्स मैगनस इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा औद्योगिक लाइसेंस के बिना सिरेमिक प्लेट और टाइलें बनाने की अनुमति के लिए अनुरोध।

1. मैसर्स मैगनस इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का आईटी सी एचएस कोड 69091200 के तहत सिरेमिक प्लेट्स और टाइल्स (विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए तकनीकी सिरेमिक) के निर्माण के लिए वार्षिक क्षमता 42091 किलोग्राम प्रति वर्ष के प्रस्ताव को अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 11.03.2022 के समक्ष रखा गया था। समिति ने आईडीआर (IDR) अधिनियम, 1951 के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता पर डीपीआईआईटी (DPIIT)/वाणिज्य विभाग से उत्तर प्राप्त होने के अधीन प्रस्ताव को "सैद्धांतिक रूप से" अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. डीपीआईआईटी (DPIIT) ने दिनांक 16.03.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि सिरेमिक प्लेट्स और टाइलें स्तर III (एनआईजे 0101.06. जुलाई 2008 या राष्ट्रीय समकक्ष और ऊपर) की बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करती हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट/हेलमेट/वेस्ट/वाहन कवच/बॉडी कवच में उपयोग होती हैं। इसलिए, सिरेमिक प्लेट और टाइलों का निर्माण भी लाइसेंसिंग आवश्यकता के अंतर्गत आता है और अनिवार्य रूप से आईडीआर (IDR) अधिनियम, 1951 के तहत एक औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। डीपीआईआईटी (DPIIT) के निर्देशों का पालन करने की सलाह के साथ इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.03.2022 द्वारा इकाई को सूचित किया गया था।

3. इकाई ने अपने पत्र दिनांक 02.04.2022 के माध्यम से कहा कि सिरेमिक प्लेटें और टाइलें स्वयं बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं। यह कच्चे माल हैं जिनका उपयोग सुरक्षा उपकरण जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट आदि के निर्माण में किया जा सकता है जो बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और न ही विशेष रूप से प्रेस नोट 1 में शामिल हैं और न ही वे एनआईजे (NIJ) मानक के अनुसार स्तर III या उससे ऊपर के बराबर बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करते हैं और इस प्रकार करते हैं आईडीआर (IDR) अधिनियम 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग के दायरे में नहीं आते; और उनके प्रस्तुतीकरण पर विचार करने और एलओपी (LOP) जारी करने का अनुरोध किया। इस कार्यालय पत्र दिनांक 07.04.2022 द्वारा सभी संलग्नकों के साथ इकाई का प्रस्तुतीकरण वाणिज्य विभाग को भेज दिया गया था।

4. आगे दिनांक 04.11.2022 के पत्र के माध्यम से, इकाई ने कहा है कि आज की तारीख में प्रस्तावित परिसर में मशीनों और अन्य विनिर्माण बुनियादी ढांचे के आयात के कारण बड़ा निवेश किया गया है। एक मशीन की कीमत 97.24 लाख रुपये का ईपीसीजी (EPCG) के तहत पहले ही आयात किया जा चुका है और स्थापित किया जा चुका है, जबकि 692.47 लाख रुपये मूल्य का एक और आयात किया गया है और मुंद्रा बंदरगाह के सीमा शुल्क गोदाम में रखा गया है। उन्होंने निर्यात उन्मुख इकाई (EOU) योजना के तहत मशीनों के आयात के लिए सशर्त एलओपी (LOP) जारी करने का अनुरोध किया है।

5. तदनुसार, एलओपी (LOP) दिनांक 16.12.2022 को विशिष्ट शर्त के साथ जारी किया गया था कि, "एलओपी (LOP) व्यापार करने में आसानी के लिए जारी किया जा रहा है और केवल 692.47 लाख रुपये के आयातित पूंजीगत सामान को बिल प्रविष्टि संख्या 7815711 दिनांक 10.03.2022 के माध्यम से जारी किया जा रहा है। 10.03.2022 को आयोजित यूएसी (UAC) के कार्यवृत्त के अनुसार और डीपीआईआईटी के (DPIIT) दिनांक 16.03.2022 के पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार, सिरेमिक प्लेट्स और टाइल्स का निर्माण भी लाइसेंसिंग आवश्यकता के अंतर्गत आता है और अनिवार्य रूप से आईडीआर (IDR) अधिनियम, 1951 के तहत एक औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए, इकाई इस कार्यालय को सिरेमिक प्लेट्स और टाइल्स के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की एक प्रति प्रस्तुत करेगी। इस कार्यालय की अपेक्षित अनुमति के बाद ही इकाई उत्पादन शुरू कर सकती है"। इस आशय की एक वचनबद्धता भी मांगी गई है कि वे औद्योगिक लाइसेंस के बिना, यदि कोई हो, अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं करेंगे।

6. दिनांक 06.02.2023 के पत्र के माध्यम से, इकाई ने सूचित किया है कि सिरेमिक प्लेट और टाइलें स्वयं बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं। जीएफएसयू, (GFSU) गुजरात द्वारा इसका परीक्षण किया गया और कहा गया कि 9 एमएम की गोली (लेवल- IIIA) द्वारा परीक्षण किए जाने पर भी प्लेटें पूरी तरह से छिद्रित थीं।

7. इकाई ने कहा है कि परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, सिरेमिक प्लेट और टाइलें स्तर III और उससे ऊपर की सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं। हालांकि, उन्होंने सिरेमिक प्लेट्स और टाइलों का निर्माण नहीं करने का वचन दिया है, यदि वे स्तर III (एनआईजे {NIJ} 0101.06 जुलाई या समकक्ष और ऊपर) की बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

8. यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने डीपीआईआईटी (DPIIT) के दिनांक 16.03.2022 के पत्र के आलोक में औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और अनुमति पत्र दिनांक 16.12.2022 के क्रमांक 1. (i) के अनुसार, इकाई, ईमेल दिनांक 03.03.2023 के माध्यम से, उन्होंने नकारात्मक में उत्तर दिया है। उनका तर्क यह है कि इकाई द्वारा निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित सिरेमिक प्लेटें और टाइलें एनआईजे (NIJ) मानक के अनुसार स्तर III या उससे ऊपर के समतुल्य बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं। इस प्रकार वे आईएल (IL) के दायरे में नहीं आते हैं और इसे इकाई के दिनांक 06.02.2023 के पत्र में पहले ही लिया जा चुका है।

9. इकाई के प्रतिनिधि समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना पक्ष दोहराया।

10. समिति ने विचार-विमर्श के बाद, मामले में उनकी राय के लिए डीपीआईआईटी (DPIIT) और वाणिज्य विभाग को परीक्षण रिपोर्ट की प्रति के साथ ईमेल का प्रतिनिधित्व भेजने का फैसला किया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(राजेश कुमार(

उप विकास आयुक्त

)ए. बिपिन मेनन(

विकास आयुक्त